न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

हेमन्त कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द्र, जाति– अग्रवाल, निवासी– डोडुआ रोड, कालन्द्री, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कालन्द्री

पंचायत निगरानी संख्याः 294/2020

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 22 जुलाई, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकः815 दिनांक 03.11.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा जो पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 को सुरजमल पुत्र चेनाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– कालन्द्री के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड को कुसमलता पत्नी रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा ने सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित से पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 502/27.6.1994 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तत्पश्चात् कुसमलता पत्नी रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित ने उक्त आवासीय भूखण्ड मय मकान को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.12.2018 के द्वारा प्रार्थी हेमन्त कुमार को विक्रय कर भूखण्ड व मकान का कब्जा प्रार्थी को सुपर्द किया था। उक्त आवासीय भूखण्ड के पश्चिम दिशा की ओर खालसा भूमि व उसके आगे डोडुआ कालन्द्री रोड डामर सड़क आई हुई। प्रार्थी द्वारा क्रय शुदा उक्त भूखण्ड की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में मगराज पुरोहित का मकान, वर्तमान में नेनमल पुरोहित का भूखण्ड, दक्षिण में मंछाराम माली का मकान, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में खालसाई भूमि व उसके आगे डोडुआ कालन्द्री पक्का डामर रोड आया हुआ है। इस पट्टेशुदा भूखण्ड का नाप 100x25=2500 वर्गफीट है एवं प्रार्थी के कब्जा शुदा भूमि का नाप पूर्व–पश्चिम 40 फीट व उत्तर–दक्षिण 25 फीट [illegible] है। प्रार्थी के मकान के आगे कब्जे शुदा भूखण्ड जो खालसाई भूमि है [illegible] पूर्व से ही मूल पट्टा धारक सुरजमल पुत्र चेनाजी के समय से कब्जा चला आ [illegible] एवं उसी लाईन को मेन्टेन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज [illegible]

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

करते हुए उसी दिशा में उक्त बिल्डिंग लाईन को मेन्टेन करते हुए सभी के आवासीय मकान आये हुए है जो करीब 45 वर्ष पूर्व के बने हुए है एवं यही स्थिति शुरु से बरकरार है और उससे आगे करीब 25 फीट पक्की डामर रोड खुली चौडाई में आई हुई है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से गली को बन्द नही किया है एवं न ही गली की भूमि पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नोटिस में जो गली दर्शाई है वो गली नही होकर प्रार्थी के मकान के आगे करीब 25 फीट भूमि को छोड़ते हुए डामर सडक आई हुई है जो डोडुआ कालन्द्री रोड है, फिर भी ग्राम पंचायत, कालन्द्री ने प्रार्थी को बदनियतिपूर्व गलत नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.11.2020 का जवाब दिनांक 17.11.2020 को सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री को प्रस्तुत किया गया है लेकिन उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण मान नही रहे है व प्रार्थी के कब्जे शुदा भूखण्ड़ से निर्माण तोडने हेतु आमदा है। प्रार्थी के अलावा सभी के मकान इसी बिल्डिंग लाईन में बने हुए है एवं प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत जवाब में भी निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत में वर्तमान डीएलसी दर से राशि प्रार्थी जमा करवाने हेतु तैयार है। राजस्थान पंचायती राज नियमों में भी प्रावधान है कि स्ट्रीप लेण्ड को डीएलसी दर से नियमन किया जावे, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि को नियमन नही किया जा रहा है। शिकायतकर्ता नेनमल पुत्र चेनाजी पुरोहित जिसका भूखण्ड़ प्रार्थी के मकान के उत्तर दिशा में आया हुआ है जिसके बाउण्ड्री वॉल बनी हुई उसने भी पट्टे से ज्यादा 100x25=2500 वर्गफीट भूमि पर कब्जा किया गया है एवं नेनमल पुरोहित के भूखण्ड संख्या 35 के उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 34 श्याम सुन्दर शर्मा का मकान आया हुआ है। मौके पर कोई गली मौजूद नही है एवं न ही कभी गली थी। यदि प्रार्थी ने अतिक्रमण किया होता तो ग्राम पंचायत 35 वर्षो से मौन धारण नही करती एवं कभी भी कार्यवाही कर ली होती। शिकायतकर्ता नेनमल पुरोहित की शिकायत पर जिस जांच अधिकारी ने जांच की है वह जांच अधिकारी नेनमल पुरोहित का रिश्तेदार है जिसने ग्राम पंचायत से रेकर्ड व नक्शा प्राप्त किये बिना ही व अडौस-पडौस की जांच किये बिना ही गलत जांच की है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.11.2020 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा प्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल, निवासी- डोडूआ रोड, कालन्द्री को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांक 815 दिनांक 03.11.2020 को इस आशय का जारी किया गया है कि परिवादी श्री नैनमल पुत्र श्री चेनाराम पुरोहित, निवासी- कालन्द्री द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही को आवासीय मकान में जाने-आने हेतु 15 फीट की गली में किया गया अवैध अतिक्रमण को हटवाकर गली खुलवाने बाबत शिकायत की गई थी, जिसकी जांच सहायक विकास अधिकारी से करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार परिवादी के पट्टा संख्या 34 के उत्तर दिशा में पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.10.1976 खेमाशंकर पुत्र चेनाजी पुरोहित के नाम से जारी किया गया है तथा दक्षिण दिशा में पट्टा संख्या 35 मगराज पुत्र चेनाजी पुरोहित के नाम से जारी किया गया है। पट्टा संख्या 35 के दक्षिण दिशा में पट्टा संख्या 36 सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित के नाम से जारी किया गया है। सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित का पट्टा संख्या 36 का भूखण्ड वर्तमान में आपने क्रय कर रखा है। पट्टा संख्या 36 में अंकित नाप से अधिक भूमि पर [illegible] की एवं खालसाई भूमि को अवैध कब्जे में ले रखा है, जिससे परिवा[illegible] संख्या 34 के भूखण्ड में

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही

जाने हेतु 15 फीट की गली बन्द हो गई है, इसलिये अतिक्रमण को 7 दिवस में हटाकर ग्राम पंचायत को सूचित करे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकर्ता का कथन यह है कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 की भूमि को कुसुमलता पुत्र रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा ने एवं कुसुमलता पुत्र रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित से प्रार्थी ने उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड मय मकान को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.12.2018 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इस पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 की भूमि के पश्चिम दिशा में खालसाई भूमि एवं उसके आगे डोडुआ–कालन्द्री रोड आया हुआ है। प्रार्थी के क्रयशुदा मकान व भूखण्ड के आगे कब्जेशुदा जो खालसाई भूमि है उस पर मूल पट्टाधारक सूरजमल पुत्र चेनाजी के समय से कब्जा चला आ रहा है एवं उसी लाईन को मेन्टेन करते हुए बिल्डिंग लाईन में सभी के आवासीय मकान बने हुए है। प्रार्थी का पुराना कब्जा व निर्माण बिल्डिंग लाईन के अन्दर है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि मौके पर कोई गली नहीं है तथा न ही प्रार्थी ने गली में कोई अतिक्रमण किया है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड को कुसुमलता पत्नी रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा ने क्रय किया है एवं उक्त कुसुमलता पत्नी रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा से प्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल ने उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड मय मकान को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.12.2018 से क्रय किया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा सूरजमल पुत्र चेनाजी पुरोहित, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में खालसाई भूमि व 15 फीट की गली व दरवाजा अंकित किया हुआ है। कुसुमलता पत्नी रतनलाल जी व रतनलाल पुत्र चिमनलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा द्वारा प्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र जी अग्रवाल को उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड मय मकान के पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.12.2018 में भी उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड मय मकान के पश्चिम दिशा में खालसा भूमि व 15 फीट की गली व दरवाजा दर्शाया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.976 में नक्शा जमीन में भूखण्ड का जो नक्शा दर्शाया है उसमें भी पश्चिम दिशा में 15 फीट की गली दशाई हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में खालसाई भूमि व 15 फीट की गली है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी हेमन्त कुमार ने उक्त पट्टा संख्या 36 दिनांक 26.10.1976 में अंकित नाप से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हे। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही